न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 857 / 2023

अनवान : –

1. बीरबलराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. रायशाल बेनीवाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सहीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. दलीप सिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. विजय कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री भादरराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी सैक्टर न0 5 नोहर तहसील नोहर।
6. सोहनलाल पुत्र सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. प्रताप सिंह पुत्र सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
8. रामकिशन पुत्र सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
9. रामजीलाल पुत्र सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
10. राममूर्ति पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
11. सत्य प्रकाश पुत्र इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. सीताराम पुत्र इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. सुमन पुत्री इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
14. सावत्री पुत्री इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
15. रेणु पुत्री इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 4/01/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकरण [illegible] जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] का पेश किया की रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के [illegible] के खाता संख्या 24[illegible] की कुल 14.7830 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

2076 के खाता संख्या 297/293 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि वादीगण के पिता भादरराम पुत्र उदमीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादरराम पुत्र उदमीराम के से दर्ज है जो कि वादी का पिता है भादरराम पुत्र उदमीराम का देहान्त हो चुका है भादरराम पुत्र उदमीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 15 है जो भादरराम पुत्र उदमीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। भादरराम के 6 लड़के व 2 लड़किया हुई कुल आठ वारिसा हुए। वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 लड़के व प्रतिवादी संख्या 5 पुत्री तथा एक पुत्री सुरस्ती फौत हो चुकी है जिसके 6 वारिस हुए प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 व इनमें एक पुत्री इन्द्रा फौत हो चुकी है जिसके 6 वारिस हुए प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 व इनमें एक पुत्री इन्द्रा फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 हुए। भादरराम को अपने पिता से विरासतन उक्त वाद भूमि अपने पिता से प्राप्त हुई है। इसलिए वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है तथा भादरराम के फौत होने पर उसके जायज वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के फौत होने के बाद 6 पुत्र व एक पुत्री हुई तथा दोनो पुत्री विमला व इन्द्रा ने पिता के जीवनकाल में ही अपने भाईयो के पक्ष में भूमि छोड़ दी थी। लेकिन सुरस्ती दिनांक 02.03.2020 को फौत हो चुकी है जिसके 5 वारिस है। अब प्रतिवादी संख्या 5 विमला व प्रतिवादी संख्या 6 ता 15 सुरस्ती के वारिसों ने अपने भाईयों व मामा से काफी स्नेह व मोह की वजह से अपना जो भी हक हिस्सा बनता है वह वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वाद भूमि पर काबिज है। जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 15 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को [illegible] जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 16 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 6 बारानी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 297 प्रदर्श–1, रोही मौजा भूकरका सम्वत 2070–73 खाता संख्या 242 प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र भादरराम प्रदर्श–3, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र सुरस्ती प्रदर्श–5, चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र 6 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्द्रा प्रदर्श–7, मूल शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श–8 आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता भादरराम पुत्र उदमीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 15 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 242/248 की कुल 14.7830 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 297/293 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि वादीगण के पिता भादरराम पुत्र उदमीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता भादरराम पुत्र उदमीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 15 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वा[illegible] एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा भादराराम, सु[illegible] व [illegible] कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible]कार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 242/248 की कुल 14.7830 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 6 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 297/293 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि वादीगण के पिता भादरराम पुत्र उदमीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में भादरराम पुत्र उदमीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4.01.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 857/2023
अनवान : –

1. बीरबलराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. रायशाल बेनीवाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सहीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. दलीप सिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. विजय कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री भादरराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी सैक्टर न0 5 नोहर तहसील नोहर।
6. सोहनलाल पुत्र सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. प्रताप सिंह पुत्र सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
8. रामकिशन पुत्र सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
9. रामजीलाल पुत्र सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
10. राममूर्ति पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
11. सत्य प्रकाश पुत्र इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. सीताराम पुत्र इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
13. सुमन पुत्री इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
14. सावत्री पुत्री इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
15. रेणु पुत्री इन्द्रा पुत्री सरस्ती पुत्री भादरराम पत्नी जेसाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 857 सन 2023 निर्णय दिनांक 4/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा [illegible] रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या [illegible] 830 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 6 बारानी [illegible] जमाबंदी सम्वत 2076 के खाता संख्या 297/293 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि वादीगण के पिता भादरराम पुत्र उदमीराम के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

राजस्व रिकार्ड है, में भादरराम पुत्र उदमीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:30 IST
Reason: SelfAttested